

10/6
22

अभिभावक मण्डल से कार्य स्थगित
किया दिनांक 12/8/22 को पेश हो

रीडर

12/8
22

जाज यह पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी वकील अनुपस्थित। न्यायालय में बार-बार जावाज लगवाने के बावजूद वादी एवं वादी वकील सीधे 5.00 बजे तक कोई उपस्थित नहीं हुआ। भूलवाद अदम हाजरी एवं अदम बैली में खारिज हो चुका है। भूलवाद का निस्तारण हो जाने से जा. पत्र 212RT Act का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः जा. पत्र 212RT Act की कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। पत्रावली जमानत शुभार होकर रफिस्ट से कट की जाती है। निलगत भूलवाद है।

SPO